Doon Valley Officers Cooperative Housing Society Limited
(Regd. Under Co-operative Societies Act II of 1912, Reg. No. 723 dated 07-06-1966)
Vasant Vihar, Chakrata Road, Dehradun
E-mail- dvochsl2@gmail.com
7668441801

Ref.No: 2546 /DVOCHSL/GBM/23 Date: 14 .11.2024

DVOCHSL उपविधियों (BYE-LAWS) के संशोधन के संबंध में आयोजित सामान्य निकाय की बैठक दिनांक 05.11.2024 का कार्यवाही विवरण।

सामान्य निकाय की बैठक में दिनांक 05.11.2024 को प्रातः 10:00 बजे सामुदायिक भवन में आयोजित की गयी। बैठक में **परिशिष्ट–1** में दर्शायी सूची अनुसार 23 प्रतिनिधि उपस्थित थे। यह बैठक दिनांक 18.09.2024 को इसी विषय पर स्थगित बैठक के क्रम में आयोजित की गयी। स्थगित बैठक के लिये न्यूनतम गणपूर्ति –17 पूर्ण होने पर बैठक प्रारंभ की गयी। बैठक की अध्यक्षता श्री धीरेन्द्र शर्मा, सभापति DVOCHSL के द्वारा की गयी। बैठक में निम्न उपविधियों में उनके समक्ष दर्शाये संशोधनों को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया:–

मौजूदा उपविधि	सामान्य निकाय द्वारा उपविधि में प्रस्तावित संशोधन
उपविधि 11 का भाग 11. यदि कोई व्यक्ति का नाम निर्दिष्ट न किया गया हो या नाम निर्देशित व्यक्ति की मृत्यु सदस्य की मृत्यु के बाद किन्तु सदस्य के अंश तथा हितों के वास्तविक भुगतान के पूर्व हो जाये तो उक्त सदस्य के अंश तथा हितों का भुगतान या संक्रमण अधिनियम की धारा–24 और नियमों के अधीन ऐसे व्यक्ति को दिया जायेगा जो समिति को उक्त सदस्य का उत्तराधिकारी प्रतीत हो। किसी अवयस्क को देय समस्त धनराशि का भुगतान उसके संरक्षक के माध्यम से किया जायेगा।	11. (ख) यदि कोई व्यक्ति का नाम निर्दिष्ट न किया गया हो या नाम निर्देशित व्यक्ति की मृत्यु सदस्य की मृत्यु के बाद किन्तु सदस्य के अंश तथा हितो के वास्तविक भुगतान के पूर्व हो जाये तो उक्त सदस्य के अंश तथा हितो का भुगतान या संक्रमण अधिनियम की धारा-24 और नियमों के अधीन ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों को दिया जायेगा जो उक्त सदस्य के उत्तराधिकारी हों। किसी अवयस्क को देय समस्त धनराशि का भुगतान उसके संरक्षक के माध्यम से किया जायेगा I **11(ग) यदि किसी सदस्य की मृत्यु होने के पश्चात, यदि कोई व्यक्ति जिसका नाम निर्दिष्ट किया गया हो, और तीन बार लिखित में स्मरण (Reminders) देने के बावजूद भी, मृत सदस्य के अंश के संक्रमण के लिये, अपना प्रार्थना पत्र समिति को नहीं दे, अथवा यदि किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति का नाम निर्दिष्ट नहीं किया गया हो, और कोई दायाद (claimant) अथवा विधिक प्रतिनिधि प्रतीत नहीं हो, इस दशा में, समिति सदस्य की मृत्य के 01 वर्ष**

	व्यतीत होने के बाद, दो राज्य स्तर के व्यापक पढ़े जाने वाले समाचार पत्रों में उपर्युक्त घोषणा करेगी I इसके पश्चात, समिति को मृत सदस्य के अंश और भूखण्ड तथा उस पर बने भवन का अधिग्रहण करने और सामान्य निकाय की स्वीकृति के पश्चात नियम 75 के अनुसार, निस्तारण करने का अधिकार होगा I भूखण्ड की कीमत विधि पूर्वक घोषित उत्तराधिकारी को बिना ब्याज लौटाने सम्बन्धी निर्णय प्रबन्ध समिति द्वारा लिया जायेगा।
12. निम्नलिखित दशाओं में कोई सदस्य समिति का सदस्य नहीं रह जायेगा–	12. कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं।
1. मृत्यु हो जाने पर।	12.(i) कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं।
2. नियम–55 के अधीन हटाये या निकाले जाने पर।	12.(ii) नियम-51 (क), 51 (ख) एवं नियम–55 के अधीन हटाये या निकाले जाने पर।
3. उसके द्वारा सदस्यता वापस लेने पर।	12.(iii) कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं।
4. समस्त अंशों की वापसी, संक्रमण या जब्त होने पर।	12.(iv) कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं।
5. अपना भूखण्ड़ अथवा भवन बेच देने अथवा अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरण करने पर।	12.(v) कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं।
6. घोषणा–पत्र असत्य सिद्ध होने पर।	12.(vi) कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं।
13. समिति की सदस्यता से अपना नाम वापस लेने का इच्छुक सदस्य, उस दिनांक से जब से वह अपना नाम वापस लेना चाहता हो, एक माह पूर्व इस आशय का आवेदन–पत्र सचिव को देगा। सचिव उस मामले को प्रबन्ध कमेटी के समक्ष आदेशार्थ प्रस्तुत करेगा और निर्णयानुसार कार्यवाही करेगा।	13. कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं।
14. किसी ऐसे सदस्य को, जिस पर समिति का ऋण हो या जो ऐसे अन्य	14. इस उपविधि को हटाना प्रस्तावित है।

	सदस्य का प्रतिभू हो जिसका ऋण चुकता न हुआ हो, अपना नाम सदस्यता से वापस लेने की अनुमति नहीं होगी।	
15.	(1) अधिनियम, नियमों तथा उपविधि के प्राविधानों में निर्धारित शर्तों व कारणों के अधीन किसी सदस्य को प्रबन्ध कमेटी में उपस्थित तथा मतदेने वाले सदस्य को प्रबन्ध कमेटी में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 के बहुमत से, समिति की सदस्यता से हटाया या निकाला जा सकता है।	**15.(i) कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं।**
	(2) प्रबन्ध कमेटी के उक्त निर्णय की अपील ऐसे आदेश होने की तिथि से 30 दिन के भीतर ही निबन्धक को की जा सकती है जिसका निर्णय अन्तिम रूप से मान्य होगा।	**15.(ii) कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं।**
16.	समिति के ऋणों के लिये किसी सदस्य का दायित्व, उसके द्वारा धारित अंश या अंशों के अंकित मूल्य के सौ गुने तक सीमित रहेगा।	**16. इस उपविधि को हटाना प्रस्तावित है।**
17.	(1) प्रत्येक सदस्य को कम से कम तीन अंश लेने होंगे, परन्तु किसी भी दशा में समिति की कुल पूंजी के 1/5 से अधिक के अंश धारण नहीं करेगा। प्रत्येक अंश का मूल्य 100 रूपये होगा, जिसका भुगतान एक बार में ही करना होगा। समित सदस्य द्वारा ऋण लेने की मात्रा के अनुपात मे अंश खरीदने की संख्या निर्धारित कर सकती है।	**17.(क) प्रत्येक सदस्य को तीन अंश लेने होंगे, प्रत्येक अंश का मूल्य 100 रूपये होगा। जिनका भुगतान एक बार में करना होगा।**
	(2) अंश की धनराशि का पूर्ण भुगतान कर दिये जाने पर समिति के मुहर से अंश प्रमाण–पत्र जारी किया जायेगा और उस पर सभापति तथा सचिव द्वारा हस्ताक्षर किये जायेगें।	**(ख) कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं।**

	(3) यदि कोई प्रमाण–पत्र खो जाये या नष्ट हो जाये तो प्रमाण–पत्र की दूसरी प्रति रू० 25/– का भुगतान करने पर जारी की जायेगी।	(ग) यदि अंश प्रमाणपत्र खो जाये या नष्ट हो जाये तो प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति प्रबन्ध कमेटी द्वारा निर्धारित दर का भुगतान करने पर जारी की जायेगी।
18.	क. किसी भी सदस्य को अधिनियम व नियमों के प्राविधानों के अधीन सदस्यता के लिए पात्र तथा प्रबन्ध कमेटी द्वारा स्वीकृत व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को अपना अंश हस्तान्तरित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अपने अंश हस्तांतरित करने के इच्छुक सदस्य समिति को सूचित करेंगे, जो उनको ऐसे हस्तान्तरणों को कराने में सहायता करेगी। बन्धक चलते रहने की अवधि में समिति के ऋणदाता की बिना पूर्व स्वीकृति के ऋणी सदस्यों के अंश हस्तान्तरित नहीं किये जायेंगे।	18.(क) कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं।
	ख. किसी ऐसे सदस्य को जिसने समीति के सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया हो या जिसे हटाया या निष्कासित किया गया है अथवा जिसकी मृत्यु हो गई हो ओर उसके विधिक प्रतिनिधि उत्तराधिकारी या नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को समिति के सदस्य के रूप में स्वीकृत न किया गया हो उसके अंश की धनराशि वापस लेने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि उसके द्वारा मुख्य ऋणगृहिता या प्रतिभू के रूप में देय धनराशियों का भुगतान ना कर दिया गया हो और अधिनियमों की धारा–24 व 25 के अधीन, जैसे भी स्थिति हो, निर्धारित अवधि समाप्त ना हो गई हो। वापस ना किये गये अंशों की धनराशि पर उस दिनांक तक जिसे समिति प्रतिदान के लिये निश्चित करे, अंतिम बार घोषित लाभांश की दर से अधिक दर पर ब्याज का भुगतान ना किया जायेगा।	18.(ख) कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं।

पूंजी	पूंजी
19. समिति की पूंजी पर निम्न स्रोंतों में किसी एक या समस्त प्रकारों से एकत्र की जा सकती है– क. प्रवेश शुल्क ख. अंशों के विक्रय से ग. निक्षेपों तथा ऋणों से घ. उपहारों, दानों, अनुदानों तथा जुर्मानों से ड. सम्पत्ति विक्रय धन से च. सेवा शुल्क से छ. भवनों तथा भूमि के मूल्य तथा सड़कों या नालियों आदि, के अनुरक्षण की लागत के लिये प्राप्त अंशदान से ज. रक्षित तथा अन्य निधियों से झ. लाभ से। किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि निक्षेप तथा ऋणों के रूप में एकत्र की गई कुल धनराशि किसी भी समय निबन्धक की विशेष अनुमति के बिना समिति की निजी पूंजी के 10 गुणा से अधिक न होगी। ऐसा ऋण तथा निक्षेप प्रबन्ध कमेटी द्वारा ऐसी सीमाओं के अन्दर तथा ऐसे रूप में जो सामान्य बैठक द्वारा नियत या स्वीकृत किया जाये, लिये जा सकते हैं।	**मूल उपविधि 19 में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं।**
20. समिति की पूंजी उसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उपयोग में लायी जायेगी। पूंजी का वह भाग जिसकी तुरन्त आवश्यकता ना हो निम्नलिखित में से किसी भी रूप में विनियोजित या जमा किया जा सकता है।	**20. कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं।**
क. सरकारी बचत पत्रों में या	**20.(क) कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं।**
ख. इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1982 की धारा–20 में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों में से किसी प्रतिभूति में या	**20.(ख) कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं।**

ग. किसी अन्य सहकारी समिति के अंशों या ऋण पत्रों में	20.(ग) कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं।
घ. किसी ऐसे बैंक या व्यक्ति के पास जो बैंकिग का कारोबार करता हो और इस प्रयोजन के लिये निबन्ध द्वारा अनुमोदित किया गया हो।	20.(घ) किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में।
ड. नियमों में निर्धारित अन्य रीति से ।	20.(ङ) कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं।
प्रबन्ध	प्रबन्ध
21. सामान्य निकाय का गठन अधिनियम तथा नियमों के प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।	21. मूल उपविधि में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं।
22. समिति की सर्वोच्च सत्ता समिति के सामान्य निकाय की सामान्य बैठक में निहित होगी जा निम्न प्रकार बुलाई जायेगी–	22. समिति की सर्वोच्च सत्ता **तथा अंतिम अधिकार** समिति के सामान्य निकाय की सामान्य बैठक में निहित होगी जो निम्न प्रकार बुलाई जायेगी-
क. समिति के वार्षिक लेखा सम्प्रेक्षा के बाद यथाशीघ्र और यदि लेखा सम्प्रेक्षा वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत करने के दो मास के अन्दर पूरी हुई हो, फिर भी 30 नवम्बर तक या विशेष परिस्थितियों में निबन्धक द्वारा बढ़ाई गई अवधि यदि कोई हो, के अन्दर होगी, जिसे वार्षिक सामान्य बैठक कहा जायेगा।	22.(क) **समिति का वित्तीय वर्ष (31 मार्च) पूर्ण होने के पश्चात गत वित्तीय वर्ष का लेखा विवरण, संतुलन पत्र, आय-व्यय का विवरण तथा लेखा** परीक्षण **पूर्ण हो जाने के पश्चात, परन्तु 30 सितंबर से पूर्व सामान्य निकाय की बैठक संपन्न की जायेगी, जिसे वार्षिक सामान्य बैठक कहा जायेगा** I माह फरवरी में सामान्य निकाय की दूसरी बैठक सम्पन्न होगी जिसे योजना बैठक कहा जायेगा। इसमें वर्तमान वर्ष एवं अगामी वर्ष के संशोधित बजट प्रस्ताव की अनुपूरक मांगों पर निर्णय किया जायेगा।
ख. वार्षिक सामान्य बैठक से भिन्न अन्य सामान्य बैठक निम्न किन्हीं दशाओं में बुलाई जायेगी–	22(ख) वार्षिक सामान्य बैठक से भिन्न अन्य सामान्य बैठक निम्न किन्हीं दशाओं में बुलायी जायेगी-
1. प्रबन्ध कमेटी की इच्छा पर लेकिन वर्ष में अधिकतम दो बार, जिसका आपसी अन्तर पांच माह से कम न हो।	22(ख)(i) प्रबन्ध कमेटी की इच्छा पर ।
2. निबन्धक द्वारा लिखित निर्देश पर।	22(ख)(ii) निबन्धक द्वारा लिखित निर्देश पर।

	3. सभापति की मांग पर।	22(ख)(iii) सभापति की मांग पर।
	4. सामान्य निकाय के 1/5 सदस्यों के लिखित मांग पर।	22(ख)(iv) सामान्य निकाय के 1/5 सदस्यों के लिखित मांग पर।
23.	सामान्य बैठक की नोटिस, जिसमें बैठक के स्थान दिनांक तथा समय और उसमें की जाने वाली कार्यवाही का उल्लेख किया गया हो, सभी सदस्यों को उस दिनांक से जबकि ऐसी बैठक होने वाली हो, कम से कम 15 दिन तथा अधिक से अधिक 30 दिन पूर्व दी जायेगी। सामान्य निकाय की बैठक समिति के कार्यकाल में होगी या यदि अन्यथा आवश्यक हो तो यथासम्भव समिति के कार्यालय के समीप किसी सार्वजनिक स्थान पर होगी जो प्रबंध कमेटी द्वारा निश्चित किया गया हो।	**23. उपविधि में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं।**
24.	सभापति सभी सामान्य बैठकों का सभापतित्व करेगा। सभापति की अनुपस्थिति में उप सभापति समिति का सभापतित्व करेगा। सभापति तथा उपसभापति दोनों ही की अनुपस्थिति में सदस्य अपने में कोई एक सदस्य को बैठक का सभापति चुनेगें।	**24. कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं।**
25.	प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा। मतों के बराबर–बराबर होने की दशा में सभापति का अपने एक सामान्य वोट के अतिरिक्त एक अन्य निर्णायक मत होगा।	**25. कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं।**
26.	जब तक कि अधिनियम तथा नियमों में अन्यथा न हो तब तक सामान्य बैठक के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या का 1/2 अथवा 25 जो भी अधिक हो सामान्य बैठक की गणपूर्ति के लिए आवश्यक होगी। किसी स्थगित बैठक की दशा में गणपूर्ति, सामान्य निकाय के निर्वाचित सदस्यों की संख्या का 1/3 अथवा 17 जो भी अधिक हो, होगी।	**प्रस्तावित संशोधन पर विचार अगली बैठक में किया जायेगा।**

27.	निर्णय के लिये प्रस्तुत सभी प्रश्नों का जब तक अधिनियम, नियम तथा इन उपविधियों में विशिष्ट रूप से अन्यथा कोई व्यवस्था ना हो बहुमत से निर्णय होगा।	**27. कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं।**
28.	वार्षिक सामान्य बैठक में निम्नलिखित कार्य किये जायेंगे– 1. गत सहकारी वर्ष में लेखा विवरण, आय–व्यय का चिट्ठा एवं संतुलन पत्र तथा लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार करना। 4. अधिनियम तथा नियमों और निबन्धक द्वारा दी गई किसी सामान्य आज्ञा, जो समिति पर लागू हो, के अनुसार शुद्ध लाभ का निस्तान्तरण। 1. आगामी सहकारी वर्ष के लिए समिति के अधिकतम दायित्वों को अधिनियम तथा नियमों के अनुसार निश्चित करना। 4. निबन्धक के अनुमोदन के अधीन रक्षित निधि से समिति को हुई हानियों की प्रतिपूर्ति करना। 2. प्रबन्ध कमेटी द्वारा आगामी सहकारी वर्ष के लिये तैयार किये गये समिति के बजट तथा सामान्य नीति एवं कार्यक्रम पर विचार, करने के पश्चात् स्वीकृति प्रदान करना। 3. गत सहकारी वर्ष के लेखा परीक्षण प्रमाण–पत्र और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर प्रबन्ध कमेटी द्वारा तैयार किये गये साराशं पर विचार, सिवाय उस दशा में जबकि नियत अवधि के भीतर लेखा परीक्षा पूर्ण न हुई हो। 4. कमेटियों द्वारा प्रस्तुत किसी अन्य कार्य तथा एक सप्ताह के पूर्व नोटिस के अन्तर्गत अन्य मामलों पर जो कम से कम दो सदस्यों के द्वारा	**28. कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं।**

	प्रस्तुत किये गये हों, निर्णय लेना।	
	प्रबन्ध कमेटी	**प्रबन्ध कमेटी**
29.	इस समिति का प्रबन्ध, प्रबन्ध कमेटी द्वारा किया जायेगा, जिसका गठन निम्न प्रकार होगा – 1. सामान्य निकाय द्वारा साधारण सदस्यों में से निर्वाचित 8 सदस्य।	29. समिति के कार्यों का प्रबन्धन, प्रबन्ध कमेटी द्वारा किया जायेगा जिसमे 11 निर्वाचित सदस्य निम्नानुसार होंगे :– 29.(क) प्रत्येक वार्ड़ के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित 1–1 सदस्य कुल–8 सदस्य। 29.(ख) निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित 2 महिला सदस्य (वार्ड सख्या 1–4 में से एक तथा वार्ड संख्या 5–8 में से एक)। 29.(ग) निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य।
	2. अधिनियम की धारा 34 में दिये गये प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुये निबन्धक द्वारा नाम निर्दिष्ट एक व्यक्ति।	29.(ii) **इस उपविधि को हटाना प्रस्तावित है।**
	3. प्रबन्ध कमेटी द्वारा आमेलित सदस्य जिनकी संख्या 2 से अधिक नहीं होगी। (आमेलित सदस्यों के लिए समिति का सदस्य होना अनिवार्य होगा)।	29.(iii) प्रबन्ध कमेटी द्वारा **सहयोजित सदस्य** जिनकी संख्या दो से अधिक नहीं होगी। 29.(iv) यदि महिला अथवा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संवर्ग का कोई प्रतिनिधि (Delegate) उपलब्ध न हो तो ऐसी स्थिति में प्रबन्ध समिति द्वारा समिति सदस्यों में से ऐसे संवर्ग के इच्छुक सदस्य को सहयोजित किया जा सकेगा।
30.	क. अधिनियम तथा नियमों में की गई किसी अन्यथा व्यवस्था के अधीन रहते हुए प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष होगा। कार्यकाल की समाप्त होने पर कमेटी विद्यमान नहीं रह जायेगी।	**30(क)** अधिनियम तथा नियमों में की गई किसी अन्यथा व्यवस्था के अधीन रहते हुए प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल पाँच वर्ष होगा। कार्यकाल के समाप्त होने पर कमेटी विद्यमान नहीं रह जायेगी।
	ख. प्रबन्ध कमेटी के नाम निर्दिष्ट व्यक्ति तब तक पद धारण किये रहेगा जब तक कि नाम निर्दिष्ट करने वाले प्राधिकारी का इच्छा हो।	**30(ख) इस उपविधि को हटाना प्रस्तावित है।**

31.	यदि कमेटी के सदस्यों में कोई आकस्मिक रिक्त होती है तो उसकी पूर्ति ऐसी अव्यतीत अवधि के लिये कमेटी के शेष सदस्यों द्वारा उस पद के लिये अर्ह सामान्य निकाय के संबंधित श्रेणी के सदस्यों में से, जिसका स्थान रिक्त हुआ हो, की जा सकती है। परन्तु प्रतिबन्ध यह हे कि उस दशा में जब कि प्रबन्ध कमेटी उपरोक्त रिक्त की पूर्ति करने में असमर्थ रहती है तो निबन्धक प्रबन्ध कमेटी को 30 दिन का नोटिस ऐसी पूर्ति करने के लिये देगा। यदि इस अवधि में भी प्रबन्ध कमेटी उक्त रिक्त की पूर्ति नहीं करती है तो निबन्धक सामान्य निकाय के अर्ह सदस्यों में से नाम निर्देशन द्वारा पूर्ति कर सकता है।	**31. यदि प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों में कोई आकस्मिक रिक्ति होती है तो उसकी पूर्ति ऐसी अव्यतीत अवधि के लिए कमेटी के शेष सदस्यों द्वारा उस पद के लिए अर्ह सामान्य निकाय के सम्बन्धित श्रेणी के सदस्यों में से, जिसका स्थान रिक्त हुआ हो, की जा सकती है। परन्तु केवल ऐसी स्थिति में जब की प्रबन्ध कमेटी का कार्यकाल उसकी पूरी अवधि के आधे से कम हो।** परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उस दशा में जब कि प्रबन्ध कमेटी उपरोक्त रिक्ति की पूर्ति करने में असमर्थ रहती है तो निबन्धक प्रबन्ध कमेटी को 30 दिन का नोटिस ऐसी पूर्ति करने के लिए देगा । अदि इस अवधि में भी प्रबन्ध कमेटी उक्त रिक्ति की पूर्ति नहीं करती है तो निबन्धक सामान्य निकाय के अर्ह सदस्यों में से नाम निर्देशन द्वारा पूर्ति कर सकता है।
32.	समिति का कोई सदस्य समिति व अन्य सहकारी संस्थाओं में समितियों की ओर से प्रतिनिधि व समिति तथा अन्य सहकारी संस्थाओं की प्रबन्ध कमेटी का सदस्य होने व बने रहने का पात्र न होगा, यदि–	**32. कोई संशोघन प्रस्तावित नहीं है।**
	1. वह 18 वर्ष से कम आयु का हो।	**32.(i) कोई संशोघन प्रस्तावित नहीं है।**
	2. वह दीवालिया घोषित हो।	**32.(ii) कोई संशोघन प्रस्तावित नहीं है।**
	3. वह विकृत चित्त, बहरा तथा गूंगा, अन्धा या कोढ़ी हो।	**32.(iii) वह विकृत चित्त या विक्षिप्त हो।**
	4. उसे निबन्धक की राय में, नैतिक पतन संबंधी अपराध के लिये दोषी ठहराया गया हो। ओर ऐसे दोष को अपील में रद्द न किया गया हो।	**32.(iv) कोई संशोघन प्रस्तावित नहीं है।**
	5. वह या निबन्धक की राय में, उसके परिवार का कोई सदस्य निबन्धक की अनुज्ञा के बिना समिति के कार्यक्षेत्र के भीतर उसी प्रकार का कारोबार करना शुरू कर दे या करता	**32.(v) इस उपविधि को हटाना प्रस्तावित है।**

हो, जैसा समिति करती हो।	
6. वह अधिनियम या नियमों अथवा समिति की उपविधियों के प्रतिकूल समितियों के साथ या उसकी ओर से कोई व्यवहार या संविदा करें।	32.(vi) कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं है।
7. वह समिति का सचिव/कार्यकारी अधिकारी व उनके अधिनस्थ समिति की सेवा में वैतनिक/अवैतनिक या अन्य कोई पद धारण किये हुये हो।	32.(vii) कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं है।
8. वह समिति की सामान्य निकाय का सदस्य न हो, सिवाय उस दशा में जब अधिनियम या नियमावली तथा उपविधियों में इसके विपरीत स्पष्ट प्राविधान हो।	32.(viii) कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं है।
8. वह अधिनियम या नियमों के अधीन किसी अपराध के लिये दोषी सिद्ध किया गया हो जब तक कि दोष सिद्ध के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि व्यतीत न हो गयी हो।	32.(ix) कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं है।
10. वह ऐसा व्यक्ति हो जिसके विरूद्ध समिति ने धारा 91 के अधीन आदेश प्राप्त कर लिया हो और उस आदेश की पूर्ति न हुई हो।	32.(x) कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं है।
11. यदि वह अपने द्वारा लिए गए किसी ऋण के सम्बन्ध में समिति का कम से कम छः मास से बकायेदार हो या समिति का वाद ऋणी हो।	32.(xi) **यदि उसने प्रबंध कमेटी द्वारा सदस्यों के लिये क्षेत्र के रख-रखाव, साफ सफाई या सुरक्षा योजना (Security Scheme) आदि के लिये निर्धारित "समिति रख रखाव शुल्क" (Society Maintenance Charges) या किसी अन्य राशि का भुगतान, देनदारी की अवधि समाप्त होने के पश्चात, छह महीने तक न किया हो I**
12. वह तीन अन्य सहकारी समितियों की प्रबन्ध कमेटियों का पहले से ही सदस्य हो।	32.(xii) कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं है।
13. वह राजकीय सेवा या किसी सहकारी समिति अथवा निगमित	32.(xiii) कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं है।

निकाय से कपट,दुराचरण या बेईमानी करने के लिए पदच्युत किया गया हो और पदच्युत का ऐसा आदेश अपील में रद्द न किया गया हों।	
14. वह किसी ऐसी सहकारी समिति के निबन्ध के प्रार्थना पत्र में सम्मिलित हो अथवा उसकी प्रबन्ध कमेटी का सदस्य हो जो बाद में निबन्धक द्वारा धारा–72 की उपधारा (2) के खण्ड 'क' के अधीन इस आधार पर समाप्त कर दी गयी हो कि समिति का निबन्धन कपट पूर्वक कराया गया है और निबन्धक का ऐसा आदेश अपील में अतिक्रमित न किया गया हो।	**32.(xiv) कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं है।**
15. उसका नियमों में परिभाषित निकट सम्बन्धी समिति का वेतनिक कर्मचारी हो। परन्तु वह उपबन्ध नाम निर्दिष्ट या पदेन सदस्य पर लागू नही होगा।	**32.(xv) कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं है।**
16. वह पर्याप्त कारण के बिना प्रबन्ध कमेटी की तीन लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा हो।	**32.(xvi) कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं है।**
17. वह अधिनियम या नियामावली या समिति की उपविधियों के किसी उपबन्ध के अधीन अन्यथा अनर्ह हो।	**32.(xvii) कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं है।**
33. प्रबन्ध कमेटी की बैठक सामान्यतः हर महीने में एक बार या जितनी बार समिति के कार्य सम्पादन हेतु आवश्यक हो, होगी। प्रबन्ध कमेटी की कार्यवाहियां एक कार्यवाही पुस्तिका में अभिलिखित की जायेगी जो इस प्रयोजन हेतु सचिव द्वारा रखी जायेगी और कार्यवाही अंकित करते समय उपस्थित सदस्यों के नामों का उल्लेख किया जायेगा और उनके हस्ताक्षर प्राप्त किये जायेगें। कार्यवाही समाप्त होने पर समिति के सचिव तथा सभापति के हस्ताक्षर किये जायेगे। प्रबन्ध कमेटी की बैठक हेतु पाँच सदस्यों की गणपूर्ति आवश्यक होगी।	**33.** प्रबन्ध कमेटी की बैठक सामान्यतः हर महीने में एक बार या जितनी बार समिति के कार्य सम्पादन हेतु आवश्यक हो, होगी। प्रबन्ध कमेटी की कार्यवाहियां एक कार्यवाही पुस्तिका में अभिलिखित की जायेंगी जो इस प्रयोजन हेतु सचिव द्वारा रखी जायेगी और कार्यवाही अंकित करते समय उपस्थित सदस्यों के नामों का उल्लेख किया जायेगा। कार्यवाही समाप्त होने पर समिति के सचिव तथा सभापति के हस्ताक्षर किये जायेगे। प्रबन्ध कमेटी की बैठक हेतु कुल सदस्यों की 50% संख्या गणपूर्ति के लिये आवश्यक होगी।

34. समिति के काम में प्रबन्ध कमेटी का हर सदस्य साधारण कारोबारी आदमी की तरह बुद्धिमानी एवं मेहनत से अधिनियम, नियमों तथा उपविधियों के प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगा। उनके द्वारा इन बातों का उल्लंघन किये जाने पर यदि समिति को किसी तरह की हानि हो तो उसके लिए वह उत्तरदायी होगा।	**34. कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं है।**
35. सामान्य निकाय के उन अधिकारों व कर्तव्यों को छोड़कर जो प्रतिनिहित नहीं किये जा सकते या नहीं किये गये हों, प्रबन्ध कमेटी सामान्य निकाय अथवा उपविधियों द्वारा निर्धारित विधियों या प्रतिबन्धों के अन्तर्गत समिति के सभी अधिकारों का प्रयोग करेगी। विशेष रूप से प्रबन्ध कमेटी के निम्नलिखित कर्तव्य एवं अधिकार होगें।	**35. कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं है।**
1. अधिनियम की धारा 121 और 122 तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये विनियमों के अधीन रहते हुए समिति के लिए वैतनिक या अवैतनिक अधिकारियों की नियुक्ति, अपदस्थ, पृथक तथा निलंबन करना या अन्य प्रकार का दण्ड देना या प्रतिभूति मांगना।	**35.(i) कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं है।**
2. समिति की ओर से वार्षिक सामान्य बैठक द्वारा वर्ष के लिए नियत अधिकतम दायित्व की सीमा तथा उपविधि संख्या 19 में वर्णित स्त्रोतों द्वारा पूँजी एकत्र करना तथा समिति की सम्पत्ति को इसके लिए बंधक रखना व सदस्यों की भूमि/भवनों को अभ्यर्पित करना।	**35.(ii) कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं है।**
3. सदस्यों द्वारा अंशों तथा भूखण्ड/भवनों को हस्तांतरित करने की स्वीकृति देना और उपविधियों के अनुसार भूमि तथा भवनों का क्रय करना।	**35(iii)** सदस्यों द्वारा अंशों तथा भूखण्ड/भवनों को हस्तांतरित करने की स्वीकृति देना और उपविधियों के अनुसार **सामान्य निकाय की पूर्व स्वीकृति के पश्चात** भूमि तथा भवनो का क्रय करना|

4. सदस्य बनाने की स्वीकृति देना तथा अंश प्रदिष्ट करना।	**35.(iv)** सदस्य बनाने की स्वीकृति देना तथा **तीन** अंश प्रदिष्ट करना।
5. सदस्यों को गाटे, भवन आरक्षण/ प्रदिष्ट करना।	**35(v) सदस्यों को** भूखण्ड **तथा भवन प्रदिष्ट करना** ।
6. समिति की पट्टे की धनराशि, किराया तथा अन्य ऐसे देयों की वसूली करना।	**35(vi)** मूल उपविधि में कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं।
7. भवन निर्माण सामग्री को थोक में क्रय करना तथा उनके संग्रह एवं वितरण की समुचित व्यवस्था करना।	**35(vii)** मूल उपविधि को हटाना प्रस्तावित है।
8. ईट, चूने तथा अन्य प्रकार के भट्टे चलाना तथा उनका प्रबन्ध करना।	**35(viii)** मूल उपविधि को हटाना प्रस्तावित है।
9. भूमि विकास/भवन निर्माण के ठेके देना और आपेक्षित प्राविधिक कर्मचारियों की लगातार भवन निर्माण कार्य की देख रेख करना।	**35(ix)** मूल उपविधि में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं है।
10. समिति व उनके सदस्यों की भूमि पर सड़कों, नालियों, गलियों, उद्यान तथा सार्वजनिक उपयोगिता की अन्य वस्तुओं का समुचित निर्माण अनुरक्षण करना।	35(x) समिति की भूमि पर सड़कों, नालियों, गलियों, उद्यान तथा सार्वजनिक उपयोगिता की अन्य वस्तुओं का समुचित निर्माण, अनुरक्षण करना।
11. सहकारी उपभोक्ता भण्डार, सामूहिक भोजनालय, परिवहन सेवा, स्कूल, चिकित्सालय, क्लब आदि सामाजिक तथा मनोरंजन संस्थाओं जिनकी मांग सदस्यों द्वारा की जाए, संगठित करना तथा चलाना।	**35.**(xi)(क) क्लब जैसी सामाजिक तथा मनोरंजन हेतु संस्थाओं, जिनकी मांग सदस्यों द्वारा की जाऐ, संगठित करना तथा चलाना। **35.**(xi)(ख) सम्पूर्ण समिति क्षेत्र का रख रखाव तथा साफ सफाई की व्यवस्था करना।
12. ऐसी सामुदायिक सेवाओं के संगठन तथा अनुरक्षण के लिए सदस्यों से अंशदान लेना जो समिति द्वारा सदस्यों के स्वास्थ्य तथा सुविधा हेतु आवश्यक समझी जाए तथा समिति की उपविधियों तथा कार्य संचालन विनियमावली का उल्लंघन करने पर सदस्यों को अर्थ दण्ड	**35.(xii)** ऐसी **उपरोक्त** सेवाओं/सुविधाओं के संगठन तथा अनुरक्षण के लिए सदस्यों से **अंशदान तय करना तथा संचित करना I समिति की उपविधियों तथा कार्य संचालन विनियमावली का उल्लंघन करने पर सदस्यों को उत्तराखंड सहकारी समिति अधिनियम 2003 की धारा 70 के अंतर्गत अर्थ दण्ड देना**I **इस हेतु अर्थदंड की राशि प्रबंध कमेटी द्वारा निर्धारित की जाएगी जो**

देना।	सदस्यों को अनिवार्य रुप से देनी होगीI निर्धारित अवधि के बीत जाने के बाद भी यदि, अर्थ दण्ड ना चुकता किया जाये, तो 20% चक्रवर्धी ब्याज लिया जायेगा I
13. सदस्यों द्वारा निर्मित भवनो के परिवर्द्धन तथा परिवर्तन की स्वीकृति देना।	35.(xiii) सदस्यों द्वारा निर्मित भवनो के परिवर्द्धन तथा परिवर्तन के लिये MDDA से प्रमाणित नक़्शे के आधार पर अनापत्ति प्रमाण पत्र देना।
14. विभाजन योजनाओं को स्वीकृत करना, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि भूखण्ड का विभाजन नहीं किया जा सकता है।	35.(xiv) भूखण्ड का विभाजन नहीं किया जा सकता है। एक से अधिक वारिस होने की स्थिति में निवास के लिये आन्तरिक बटवारा वारिसों द्वारा स्वयं किया जायेगा I भूखण्ड और भवन को केवल एक इकाई की तरह एक व्यक्ति को लीज हस्तांतरण की जा सकती है I
15. सदस्यों द्वारा भवन किराये पर उठाने की स्वीकृत देना।	35.(xv) सदस्यों द्वारा अपने भूखण्ड़ में निर्मित भवन को किसी व्यक्ति को आवास हेतु किराये पर देते समय किरायेदार का पुलिस सत्यापन कराकर समिति को उसकी सूचना देनी होगी।
16. उपविधियों के अनुसार आयोजित की जाने वाली बैठक की व्यवस्था करना और वार्षिक सामान्य बैठक पिछले 31 मार्च को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन आय–व्यय के लेखे तथा संतुलन पत्र तथा सदस्यों को निबन्धक द्वारा अपेक्षित अन्य विवरण पत्र प्रस्तुत करना।	35.(xvi) कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं।
17. समिति का वार्षिक संतुलन पत्र प्रकाशित करना।	35.(xvii) कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं।
18. समिति के कार्य कलापों से सम्बन्धित वादों या विधिक कार्यवाहियों को जो समिति या प्रबन्ध कमेटी या समिति के अधिकारियों द्वारा या उसके विरूद्ध दायर की गई हो उन्हें प्रबन्ध कमेटी या किसी सदस्य, सचिव या इस सम्बन्ध में विशेष रूप से अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा संचालित करना, प्रतिरक्षा करना या इनसे समझौता करना और इन्हें	35.(xviii) कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं।

मध्यस्थ निर्णय हेतु भेजना या वापस लेना।	
19. जाने वाले ऋणों की ब्याज की दर निर्धारित करना।	**35.(xix) इस उपविधि को हटाना प्रस्तावित है।**
20. भूमि/गाटों तथा भवनों का किराया एवं क्रय विक्रय मूल्य निर्धारित करना।	**35.(xx) इस उपविधि को हटाना प्रस्तावित है।**
21. समिति की भूमि पर अतिक्रमण करने या करके भवन बनाने वालों पर समिति के कार्य कलापों से सम्बन्धित अन्य मामलों पर कार्यवाही करना।	**35(21) समिति की भूमि पर अतिक्रमण करने या करके निर्माण या घेराबन्दी करने वालों पर तथा समिति के कार्य कलापों से सम्बन्धित अन्य मामलों पर कार्यवाही करना।**
22. अधिनियम तथा नियमों के प्राविधानों के रहते हुए सदस्यों को हटाना या निलम्बित करना।	**35.(xxii) कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं।**
23. सदस्यों के त्यागपत्र स्वीकृत करना।	**35.(xxiii) इस उपविधि को हटाना प्रस्तावित है।**
24. अंशो, प्लाटों, भवनों तथा ऋणों के लिये प्राप्त आवेदन पत्रों पर कार्यवाही करना तथा प्रस्तुत की गयी प्रतिभू को स्वीकृत या अस्वीकृत करना।	**35.(xxiv)** अंशो एवं भूखण्डों के लिये प्राप्त आवेदन पत्रों पर कार्यवाही करना तथा प्रस्तुत की गयी प्रतिभू को स्वीकृत या अस्वीकृत करना।
25. अंशो तथा निर्माण सम्बन्धी व्यय की धनराशियों, किराये तथा ऋणों व अन्य भुगतानों के ठीक समय पर भुगतान की देख–रेख तथा उनकी वसूली के लिये समुचित प्रबन्ध करना।	**35.(xxv)** अंशो तथा निर्माण सम्बन्धी व्यय की धनराशियों, किराये तथा अन्य भुगतानों के ठीक समय पर भुगतान की देख–रेख तथा उनकी वसूली के लिये समुचित प्रबन्ध करना।
26. ऋणों का उपयोग उन्हीं प्रयोजनों में किया जा रहा है जिसके लिये उनकी स्वीकृति दी गयी थी इस बात को सुनिश्चित करना।	**35.(xxvi) इस उपविधि को हटाना प्रस्तावित है।**
27. बकाया भुगतान करने के लिये अवधि बढ़ाना।	**35.(xxvii) मूल उपविधि में कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं।**

28. समिति के लेखों का परीक्षण तथा जांच करना तथा इस बात को सुनिश्चित करना कि समिति का हिसाब तथा लेखे निर्धारित प्रपत्रों पर रखे जा रहे हैं।	**35.(xxviii)** मूल उपविधि में कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं।
29. समस्त प्रकार के व्ययों, जिनमें समिति के सचिव द्वारा किये गये व्यय भी सम्मिलित है, स्वीकृति देना।	**35.(xxix)** मूल उपविधि में कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं।
30. समिति के धन तथा सम्पत्ति की प्राप्ति, वितरण तथा सुरक्षित अभिरक्षा का प्रबन्ध कराना।	**35.(xxx)** मूल उपविधि में कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं।
31. समिति की भूमि तथा भवन के अध्यासियों के लिये विनियम बनाना।	**35.(xxxi)** मूल उपविधि में कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं।
32. निबंधक तथा उनके अधीनस्थ अधिकारियों के निरीक्षण तथा लेखा सम्परीक्षा सम्बन्धी टिप्पणियों पर विचार तथा कार्यवाही करना और यदि आवश्यक हो, उनके सम्बन्ध में बैठक से प्रस्ताव करना।	**35.(xxxii)** मूल उपविधि में कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं।
33. समिति को आवास निर्माण के उद्देश्यों हेतु राज्य/शीर्ष स्तर पर गठित संघ का सदस्य बनाना व अंश क्रय करना।	**35.(xxxiii)** मूल उपविधि में कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं।
34. समिति के या उनके कब्जे में आये भवनों को आग आदि से होने वाले नुकसान की बीमा कराना।	**35.(xxxiv)** मूल उपविधि में कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं।
35. समिति के क्षेत्र में फेरी वालों के विचरण पर नियंत्रण, पार्को का रख रखाव व प्रयोग, सूचना पट्टों या विज्ञापन के बोर्ड या बैनर लगाना, शापिंग सेंटर की व्यवस्था करना, पालतू तथा आवारा पशुओं के विचरण एवं समिति की भूमि को गन्दा करने पर प्रतिबन्ध लगाना, समिति की भूमि पर अवैध कब्जा या निर्माण हटाना आदि के सम्बन्ध में नियम बनाना	**35.(xxxv) समिति के क्षेत्र में फेरी वालों के विचरण पर नियंत्रण, पार्को का रख-रखाव व प्रयोग, सूचना पटटों या विज्ञापन के बोर्ड या बैनर लगाना, शापिंग सेंटर की व्यवस्था करना, पालतू तथा आवारा पशुओं के विचरण एवं समिति की भूमि को गन्दा करने पर प्रतिबन्ध लगाना, समिति की भूमि पर अवैध कब्जा या निर्माण हटाना आदि के सम्बन्ध में आदेश जारी करना और उल्लंघन करने पर अर्थदंड निर्धारित व वसूल करना I** **प्रबध कमेटी को अपने कार्यों को सुचारू रुप से सम्प्पन**

और उल्लंघन करने पर दंड निर्धारित व वसूल करना।	**करने के लिये आवश्यकता अनुसार,** उपसमितियों **के गठन का अधिकार होगा** I
36. ''प्रबन्ध कमेटी अपने आवासीय क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये एक सुरक्षा योजना बनायेगी जिसमें आवश्यकतानुसार समय–समय पर परिवर्तन व परिवर्धन किये जा सकेंगे। सुरक्षा योजना के सुचारू रूप में कार्यान्वित होने पर समिति का प्रत्येक सदस्य या जिसने अपना घर किराये पर दे रखा है, उस घर में रहने वाले किरायेदार तथा ऐसे सदस्य, कर्तव्यबद्ध होगा कि वह प्रबन्ध समिति द्वारा तय किये गये व्यय भार का मासिक अग्रिम अंश जैसा प्रबन्ध कमेटी समय–समय पर निश्चित करें, प्रत्येक माह की 07 तारीख तक समिति के कार्यालय में जमा करेगा या त्रैमास/अर्धवार्षिक/वार्षिक अंश अग्रिम के रूप में दे सकता है और यदि उस पर 03 माह से अधिक ज्यादा का बकाया हो जाता है तो प्रबन्ध कमेटी 15 दिन के अन्दर बकाया धनराशि जमा करने का नोटिस देगी। इसके बावजूद भी ऐसे सदस्य/व्यक्ति द्वारा बकाया धनराशि का भुगतान इस अवधि के अन्दर न किये जाने पर प्रबन्ध समिति बकाया राशि पर 20% दण्ड लगायेगी और उसको एक नोटिस दिया जायेगा कि वह 30 दिन के भीतर मूल बकाया धनराशि तथा अधिक दण्ड की धनराशि एकमुश्त समिति के कार्यालय में जमा करे/कराये। उसके द्वारा ऐसा न किये जाने की स्थिति में प्रबन्ध कमेटी को अधिकार होगा कि उसके विरूद्ध उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम 2003 की धारा 70 के अन्तर्गत कार्यवाही करें। यह प्रावधान सफाई व पथ प्रकाश से सम्बन्धित बकाया देयो की वसूली पर भी लागू होगी।''	**35.(xxxvi)** मूल उपविधि में कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं।

सभापति तथा उपसभापति	सभापति तथा उपसभापति
36. (1) समिति का एक सभापति तथा एक उपसभापति होगा जिसका चुनाव प्रबन्ध कमेटी के चुने गये सदस्यों द्वारा अपने में से नियमानुसार किया जायेगा और उसका कार्यकाल प्रबन्ध कमेटी के साथ ही आरम्भ और समाप्त होगा।	36.(i) समिति का एक सभापति तथा एक उपसभापति होगा जिसका चुनाव प्रबन्ध कमेटी के लिये **निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से, निर्वाचन अधिकारी के समक्ष** नियमानुसार किया जायेगा और उसका कार्यकाल प्रबन्ध कमेटी के साथ ही आरम्भ और समाप्त होगा।
(2) सभापति समिति के मामलों तथा कार्यो के नियंत्रक पर्यवेक्षक तथा मार्ग दर्शन के लिये उत्तरदायी होगा और उसके ऐसे अधिकारों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो अधिनियम तथा नियमों व उपविधियों के प्राविधानों तथा प्रबंध कमेटी के संकल्पों द्वारा प्रदत्त या आरोपित किये जायें। उपस्थित रहने पर, वह नियमों में अन्यथा की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुये सामान्य निकाय तथा प्रबन्ध कमेटी की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।	36.(ii) **सभापति के अधिकार तथा कर्तव्य अधिनियम की धारा 30 में वर्णित है।** सभापति समिति के मामलों तथा कार्यो के नियंत्रक पर्यवेक्षक तथा मार्ग दर्शन के लिये उत्तरदायी होगा और उसके ऐसे अधिकारों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो अधिनियम तथा नियमों व उपविधियों के प्राविधानों तथ प्रबंध कमेटी के संकल्पों द्वारा प्रदत्त या आरोपित किये जायें। उपस्थित रहने पर, वह नियमों में अन्यथा की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुए सामान्य निकाय तथा प्रबन्ध कमेटी की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।
(3) सभापति को यह अधिकार होगा कि निम्नलिखित परिस्थितियों में वह किसी भी बैठक को स्थगित कर दे– 1. गणपूर्ति का अभाव हो, या 2. सदस्यों के बहुमत द्वारा मांग अथवा मत देने पर।	36.(iii) मूल उपविधि में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं है।
(4) यदि कार्य–सूची के सभी कार्य उसी दिनांक को जब बैठक हो पूरे न किये जा सके तो बैठक जैसा उपस्थित सदस्य निश्चित करें, सभापति स्थगित कर सकता है।	36.(iv) मूल उपविधि में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं है।
(5) सभापति अपने अधिकारों में से जिनको उचित समझे, उपसभापति को लिखित रूप से प्रतिनिहित कर सकता है।	36.(v) मूल उपविधि में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं है।

	(6) अ. सभापति सचिव से कोई रिपोर्ट प्राप्त होने पर या अन्यथा ऐसा स्थगन आदेश जारी कर सकता है, जिसमें किसी सदस्य पर उनमें निर्दिष्ट किसी कार्य को करने का अवरोध लगाया जा सकता है या उससे किसी ऐसे कार्य को करने की अपेक्षा की जा सकती है, जिसके करने अथवा न करने से समिति के हितों को हानि होने की आंशका हो। ऐसा आदेश सम्बन्धित सदस्य को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् जारी किया जायेगा और तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि उसे वापस न ले लिया जाए या सदस्य द्वारा अपील करने प्रबन्ध कमेटी उसे निरस्त न कर दें।	36.(vi) मूल उपविधि में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं है।
	ब. यदि सम्बन्धित सदस्य उक्त आदेश को लेने से बचता रहे या उसका अनुपालन न करें तो सभापति उसे आदेश की तामील नियम 255 (ग) के अनुसार करा सकता है तथा आदेश के अनुपालन न करने पर अधिनियम की धारा 71 के अन्तर्गत या अन्य कानूनी कार्यवाही कर सकता हे।	
	(7) अ. उपसभापति नियमों में अन्यथा की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुए सभापति की अनुपस्थिति में, सामान्य निमाय तथा प्रबन्ध कमेटी की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।	36.(vii) मूल उपविधि में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं है।
	ब. ऐसे अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे उपविधियों के अधीन रहते हुए सभापति द्वारा लिखित रूप में प्रतिनिहित किये गये हों।	
	सचिव	**सचिव**
37.	समिति में एक सचिव होगा जो समिति का मुख्य कार्यपालक	37. समिति में एक सचिव होगा जो समिति का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और

अधिकारी होगा और सभापति तथा प्रबन्ध कमेटी के ऐसे नियंत्रण व पर्यवेक्षण के अधीन रहते हुए जिसकी व्यवस्था अधिनियम, नियमों तथा उपविधियों में की गयी हो, कार्य करेगा।	सभापति तथा प्रबन्ध कमेटी के ऐसे नियंत्रण व पर्यवेक्षण के अधीन रहते हुए जिसकी व्यवस्था अधिनियम, नियमों तथा उपविधियों में की गयी हो, कार्य करेगा। सचिव की नियुक्ति सामान्य निकाय द्वारा निर्धारित अर्हता अनुसार, प्रबन्ध कमेटी द्वारा की जायेगी।
1. समिति की सामान्य निकाय, प्रबन्ध कमेटी तथा किसी उपसमिति की सभी बैठकें बुलाना तथा उनमें उपस्थित रहना।	**37(i) मूल उपविधि में कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं।**
2. सभी प्रकार की बैठकों को कार्यवाही पुस्तिका में अभिलिखित करना।	**37(ii) मूल उपविधि में कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं।**
3. समिति के अभिलेखों तथा विभिन्न बहियों को उचित रूप से रखना और अधिनियम, नियमों तथा उपविधियों व निबन्धक या राज्य सरकार के अनुदेशों के अनुसार नियतकालिक विवरण–पत्रों और विवरणियों को शुद्ध रूप में रखना तथा उन्हें ठीक समय पर प्रस्तुत करना।	**37(iii) मूल उपविधि में कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं।**
4. प्रतिवर्ष अप्रैल के महीने में समिति के पिछले 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष का सन्तुलन पत्र तथा आय व्यय विवरण पत्र तैयार करना तथा अन्य ऐसे विवरण पत्र तैयार करना और प्रतिवेदन तैयार करना जो निबंधक या प्रबन्ध कमेटी द्वारा निर्धारित किये जाये।	**37(iv) मूल उपविधि में कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं।**
5. अंश, निर्माण, पट्टे व किराये सम्बन्धी तथा अन्य प्रकार की धनराशियां प्राप्त करना और समिति की धनराशि को नियमों के प्राविधानों के अनुसार विनियोजित अथवा वितरित करना।	**37(v) मूल उपविधि में कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं।**

6. यदि समिति में कोषाध्यक्ष न हो तब तक समिति की राशि को सुरक्षित अभिरक्षा में रखने का उत्तरदायित्व वहन करना।	**37(vi)** मूल उपविधि में कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं।
7. प्रबन्ध कमेटी द्वारा निर्धारित धनराशि तक तथा ब्याज की दर पर समिति सदस्यों से सावधि निक्षेप प्राप्त करना तथा ऐसे निक्षेपों के लिये निक्षेप प्रमाण पत्र प्रदान करना।	**37(vii)** मूल उपविधि को हटाना प्रस्तावित है।
8. प्रबन्ध कमेटी द्वारा नियत की गई सीमाओं के अन्दर प्रासंगिक व्यय करना।	**37(viii)** मूल उपविधि में कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं।
9. समिति की ओर से धनराशि की प्राप्त रसीदों पर हस्ताक्षर करना तथा समिति द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित सभी अन्य कागज पत्रों या लेखों के साथ संयुक्त हस्ताक्षर करना।	**37(ix)** मूल उपविधि में कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं।
10. यह देखना कि समिति की भूमि पर कोई अतिक्रमण तो नहीं किया गया है तथा यह सुनिश्चित करना कि सदस्यों द्वारा बनाये जाने वाले समस्त भवन, प्रबन्ध कमेटी द्वारा स्वीकृत नक्शे और सामान्य निकाय द्वारा निर्धारित सिद्धान्तों के अनुसार ही बन रहे हैं।	**37.(x)** मूल उपविधि में कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं।
11. सचिव का यह भी दायित्व होगा कि इस बात को सुनिश्चित करें कि समिति का प्रबन्ध तथा प्रशासन सुचारू रूप से चल रहा है।	**37(xi)** मूल उपविधि में कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं।
12. ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करना जो नियम तथा उपविधियों द्वारा उसको प्रदत्त अथवा आरोपित किये जाये।	**37(xii)** मूल उपविधि में कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं।
38. यदि नियम 144 में दर्शाया गयी परिस्थितियों के अनुसार एक या एक से अधिक सहायक सचिव नियुक्त किये गये हों तो ऐसे कर्मचारी सचिव	38. यदि नियम 144 में दर्शाया गयी परिस्थितियों के अनुसार एक या एक से अधिक उप–सचिव नियुक्त किये गये हों तो ऐसे कर्मचारी सचिव के पर्यवेक्षण के अधीन उन सभी या किन्हीं अधिकारों का

के पर्यवेक्षण के अधीन उन सभी या किन्हीं अधिकारों का प्रयोग करेंगें जो उन्हें सचिव द्वारा प्रबन्ध कमेटी के अनुमोदन से प्रतिनिहित किये गयें हों।	प्रयोग करेंगें जो उन्हें सचिव द्वारा प्रबन्ध कमेटी के अनुमोदन से प्रतिनिहित किये गयें हों।
कोषाध्यक्ष	**कोषाध्यक्ष**
39. यदि कोषाध्यक्ष नियुक्त हो तो वह समिति द्वारा प्राप्त समस्त धनराशियों को अपने प्रभार में रखेगा और सचिव तथा प्रबन्ध कमेटी द्वारा इस सम्बन्ध में अधिकृत पदाधिकारी के आदेशानुसार उनका वितरण करेगा। वह इस तथ्य के प्रतीक स्वरूप कि कैश–बुक सही भरी गयी है उस पर सचिव के हस्ताक्षर कराएगा और जब कभी प्रबन्ध कमेटी का कोई सदस्य, निबन्धक या निबन्धक के सामान्य विशेष आदेश द्वारा अधिकृत ऐसा अन्य अधिकारी उसे शेष रोकड़ जांच हेतु प्रस्तुत करने को कहें तो उसे प्रस्तुत करेगा। वह अपने व्यक्तिगत अभिरक्षा में प्रबन्ध कमेटी द्वारा समय–समय पर नियत की गई सीमा के अन्दर ही धनराशि रख सकता है।	**39.** यदि **कोषाध्यक्ष या लेखाकार** नियुक्त हो तो वह समिति द्वारा प्राप्त समस्त धनराशियों को अपने प्रभार में रखेगा और सचिव/उप सचिव तथा प्रबन्ध कमेटी द्वारा इस सम्बन्ध में अधिकृत पदाधिकारी के आदेशानुसार उनका वितरण करेगा | वह इस तथ्य के प्रतीक स्वरूप कि कैश-बुक सही भरी गयी है, उस पर सचिव के हस्ताक्षर कराएगा और जब कभी प्रबन्ध कमेटी का कोई सदस्य, निबन्धक या निबन्धक के सामान्य विशेष आदेश द्वारा अधिकृत ऐसा अन्य अधिकारी उसे शेष रोकड़ जांच हेतु प्रस्तुत करने को कहे, तो उसे प्रस्तुत करेगा | **लेखों का रख-रखाव, और धनराशि के वितरण का संयुक्त उत्तरदायित्व सचिव और कोषाध्यक्ष या लेखाकार का होगा I** वह अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में प्रबन्ध कमेटी द्वारा समय-समय पर नियत की गयी सीमा के अन्दर ही धनराशि रख सकता है
गाटो (प्लाटों) का प्रबिष्ट किया जाना	**भूखण्डों (प्लाटों) का प्रबिष्ट किया जाना**
40. जब समिति द्वारा भूमि प्राप्त कर ली गई तो प्रबन्ध कमेटी सदस्यों की आवश्यकता का समुचित ध्यान रखते हुए समिति के लिये एक नक्शा तैयार करेगी ओर सदस्यों को भवन बनाने हेतु पट्टे अथवा विक्रय द्वारा दिये जाने वाले गाटों (प्लाटों) की नाप निश्चित करेगी। उक्त नक्शे में समिति की भूमि का एक भाग सड़कों, गलियों, मनोरंजन, पार्क तथा स्कूल, सामूदायिक भवन, चिकित्सालय, भण्डार आदि जैसे सार्वजनिक उपयोगिता के भवनों के लिये यदि आवश्यक हो आरक्षित किया जायेगा। ऐसे नक्शे के लिये मुख्य नगर एवं	40. समिति द्वारा भूमि प्राप्त कर ली गई तो प्रबन्ध कमेटी सदस्यों की आवश्यकता का समुचित ध्यान रखते हुए समिति के लिये एक नक्शा तैयार करेगी और सदस्यों को भवन बनाने हेतु पट्टे (Perpetual Lease) द्वारा दिये जाने वाले भूखण्डों (प्लाटों) की नाप निश्चित करेगी | उक्त नक्शे में समिति की भूमि का एक भाग सड़कों, गलियों, मनोरंजन, पार्क तथा स्कूल, सामुदायिक भवन, चिकित्सालय, भण्डार आदि जैसे सार्वजनिक उपयोगिता के भवनों के लिये यदि आवश्यक हो आरक्षित किया जायेगा | भूखण्डों का आवंटन सामान्य निकाय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया द्वारा किया जायेगा।

	ग्राम नियोजन अथवा सम्बन्धित स्थानीय निकाय से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही प्लाटों का आबंटन ऐसे सदस्यों के पक्ष में किया जायेगा, जिसके पास समिति के कार्यक्षेत्र में अपना अथवा अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम भूखण्ड–भवन न हो। सड़कों/नालियां, पार्कों आदि के अनुरक्षण मरम्मत के लिये समिति संबंधित सदस्यों (Allotees) से अंशदान वसूल कर सकती है।	**ऐसे नक्शे के लिये MDDA से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही भवन निर्माण की स्वीकृति दी जाएगीI सड़कों/नालियों, पार्को आदि के अनुरक्षण तथा मरम्मत के लिये समिति सम्बन्धित सदस्यों (Allotees) से अंशदान वसूल कर सकती है। भवन-निर्माण के चलते हुए, प्रबंध कमेटी, को यह सुनिश्चित करने का अधिकार होगा कि, भवन निर्माण, स्वीकृत नक्शे के ही अनुसार हो रहा है I**
41.	समिति के वर्तमान स्वीकृत मानचित्र के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णित या भविष्य में यथाविधि घोषित या निर्दिष्ट खुले क्षेत्र (ओपन स्पेसेज) हरित क्षेत्र, पार्क या अन्य रिक्त भूमि को न तो क्षेत्रफल में और ना ही प्रतिशत के अनुपात में कम किया जा सकता है और ना ही आवासीय भूखंडों में परिवर्तित किया जा सकता है। वर्तमान या भविष्य में निर्दिष्ट ऐसी भूमि केवल 'हरित क्षेत्र' ही रहेगी। इन क्षेत्रों का उपयोग केवल समिति के सदस्यों के सामूहिक प्रयोग (जेसे खेल, बच्चों के पार्क, सामाजिक आयोजन जैसे शादी, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि) के लिए प्रबन्ध कमेटी के निर्णयानुसार किया जा सकता है।	41. मूल उपविधि में कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं।
42.	प्रबन्ध कमेटी प्राप्त भूमि तथा उस पर किये गये सुधारों से सम्बन्धित व्यय तथा उसके विकास के लिए सड़कों, खुली जगहों ताकि सार्वजनिक उपयोगिता की अन्य बातों के लिये आवश्यकतानुसार आरक्षित भूमि के मूल्य का समुचित ध्यान रखते हुए धनराशि निश्चित करेगी जो किसी सदस्य को अपना भवन बनाने के लिये किसी गाटे को अपने कब्जे में लाने हेतु भुगतान करनी पड़ेगीं। आवश्यक धनराशि के भुगतान की रीति प्रबन्ध कमेटी द्वारा निर्धारित की जायेगी।	42. मूल उपविधि में कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं।

43.	भवन बनाने के लिए भूमि प्रदिष्ट किये जाने हेतु सदस्य को प्रबन्ध कमेटी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र देना होगा। प्रबन्ध कमेटी सदस्यों की न्याय संगत मांग के आधार पर और किन्हीं ऐसे सिद्धान्तों के अनुसार जो समान्य बैठक द्वारा निर्धारित किये जाये, गाटे प्रदिष्ट करेगी। सदस्यों को अपना पड़ोसी चुनने के लिए हर प्रकार की सुविधा देने का प्रयास किया जायेगा। जिससे वह अपने लिए इच्छित व्यक्ति को पड़ोसी बना सके। यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही गाटे लेना पसन्द करें तो प्रबन्ध कमेटी इस प्रश्न को किसी बैठक में जिसमें संबंधित पक्षों को आमंत्रित किया जायेगा पर्चे डालकर निर्णय करेगी। किसी सदस्य को एक से अधिक गाटा प्रदिष्ट नहीं किया जायेगा।	**43.** इस उपविधि को हटाना प्रस्तावित है।
44.	सदस्यों को प्रदिष्ट किये गये गाटे उन्हें एक निबद्ध विलेख के अधीन ऐसी शर्तों या किराये पर जो प्रबन्ध कमेटी द्वारा नियत हो, संक्रमित किये जायेगें।	**44. मूल उपविधि में कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं।**
	भवनों का निर्माण	**भवनों का निर्माण**
45.	प्रत्येक सदस्य समिति द्वारा प्रदिष्ट किसी भूखण्ड पर भवन बनाने से पूर्व समिति की प्रबन्ध कमेटी को भवन का पूरा नक्शा तथा भूखण्ड का प्रस्तावित अभिन्यास स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करेगा, और इसकी प्रस्तुति हो जाने पर ऐसे किसी नक्शे या अभिन्यास में प्रबन्ध कमेटी प्राविधिक परामर्श यदि आवश्यक हो, प्राप्त करने के बाद कोई परिवर्तन कर सकती है, तथा सदस्य को आदेश दे सकती है कि समिति द्वारा सुझाए गये परिवर्तनों का समावेश करते हुए संशोधित मानचित्र प्रस्तुत करे। तत्पश्चात् प्रबन्ध कमेटी मानचित्र को नियत प्राधिकारी	45. प्रत्येक सदस्य समिति द्वारा प्रविष्ट किसी भूखण्ड पर भवन बनाने से पूर्व समिति की प्रबन्ध कमेटी को भवन का पूरा नक्शा तथा भूखण्ड का प्रस्तावित अभिन्यास अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा, और इसकी प्रस्तुति हो जाने पर ऐसे किसी नक्शे या अभिन्यास में प्रबन्ध कमेटी प्राविधिक परामर्श यदि आवश्यक हो, प्राप्त करने के बाद कोई परिवर्तन कर सकती है, तथा सदस्य को आदेश दे सकती है कि समिति द्वारा सुझाए गये परिवर्तनों का समावेश करते हुए संशोधित मानचित्र प्रस्तुत करे। तत्पश्चात् प्रबन्ध कमेटी मानचित्र को नियत प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी, तथा नक्शे की एक प्रति अपने कार्यालय में रखेगी। सदस्य से

	को अग्रसारित करेगी, तथा नक्शे की एक प्रति अपने कार्यालय में रखेगी। सदस्य से अपेक्षा की जायेगी कि वह तीन माह के अन्दर नियत प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत नक्शे की प्रमाणित प्रतिलिपि के प्राप्त होने के बाद सदस्य निमार्ण कार्य आरम्भ कर सकेगा। प्रबन्ध कमेटी को यह अधिकार होगा कि वह निर्माण कार्य की जांच करे, और किसी प्रकार का अन्तर पाये जाने पर नियत प्राधिकारी को रिपोर्ट करे। इस प्रकार के मामलों मे प्रबन्ध कमेटी को स्वतः ही दोषी सदस्य के विरूद्ध कार्यवाही करने का अधिकार होगा।	अपेक्षा की जायेगी कि वह तीन माह के अन्दर नियत प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत नक्शे के प्राप्त होने के बाद सदस्य निमार्ण कार्य आरम्भ कर सकेगा। प्रबन्ध कमेटी को यह अधिकार होगा कि वह निर्माण कार्य की जांच करे, और किसी प्रकार का अन्तर पाये जाने पर नियत प्राधिकारी को रिपोर्ट करे। इस प्रकार के मामलों मे प्रबन्ध कमेटी को स्वतः ही दोषी सदस्य के विरूद्ध कार्यवाही करने का अधिकार होगा।
46.	समिति अपने सदस्यों की ओर से उनकी लिखित प्रार्थना पर उनके भवनों का निर्माण कार्य रजिस्टर्ड इकरारनामे के तहत आरम्भ कर सकती है। समिति निर्माण कार्य के लिए सदस्यों से पर्यवेक्षण शुल्क ले सकती है जो निबन्धक की स्वीकृति के बिना लागत के 5 प्रतिशत से अधिक न होगा। समिति अपने सदस्यों को निम्न अवस्थाओं में जैसे– 1. नींव खुदते तथा भरते समय। 2. दीवालें खड़ी होने तथा छत एवं फर्श तैयार होते समय अपने भवनों/प्लाटों का निरीक्षण करने की अनुमति देगी और तभी वे आपत्तियां यदि कोई हो, प्रस्तुत कर सकेंगे।	**46. मूल उपविधि को हटाना प्रस्तावित है।**
47.	समिति द्वारा अपने भवन/प्लाटों के निर्माण कराने के इच्छुक सदस्य के भवन/फ्लैट निर्माण के आय–व्यय का विवरण अलग–अलग रखा जायेगा। भवन की अनुमानित लागत का 50 प्रतिशत धन सम्बन्धित सदस्य निर्माण कार्य प्रारम्भ होने के पूर्व बयाने की धनराशि के रूप में समिति	**47. मूल उपविधि को हटाना प्रस्तावित है।**

	में जमा करेगा और शेष 50 प्रतिशत धनराशि भवन की छत पड़ जाने पर एकमुश्त जमा करनी होगी।	
48.	समिति स्वयं अपने भवन तथा अन्य भवन बना सकती है और उन्हें मासिक किराया या किराया खरीद अथवा पूर्व विक्रय प्रणाली के आधार पर ऐसी शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन सदस्यों को दे सकती है जो इस प्रयोजन के लिए प्रबन्ध कमेटी द्वारा निर्धारित हो।	48. समिति स्वयं अपने भवन तथा अन्य भवन बना सकती है और उन्हें मासिक किराया या किराया खरीद अथवा पूर्व विक्रय प्रणाली के आधार पर ऐसी शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन सदस्यों को दे सकती है जो इस प्रयोजन के लिए प्रबन्ध कमेटी द्वारा निर्धारित हो। व्यवसायिक भवन को छोड़कर अन्य कोई भवन सदस्यों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिया जायेगा।
49.	प्रबन्ध कमेटी की लिखित पूर्व स्वीकृति लिए बिना किसी सदस्य द्वारा समिति की भूमि पर बनाये गये भवन में कोई परिवर्द्धन, परिवर्तन या विभाजन नहीं किया जायेगा। इस प्रकार के समस्त प्रस्तावों पर स्वीकृति देते समय प्रबन्ध कमेटी यह देखेगी कि इस प्रकार के प्रस्तावित परिवर्तनो से न तो कोई अस्वस्थ्यकर वातावरण उत्पन्न होगा और न किसी अन्य सदस्य को ही किसी प्रकार की असुविधा होगी। यदि भवन निर्माण हेतु ऋण किसी वाह्य श्रोत के माध्यम से प्राप्त किया गया हो तो, जब तक ब्याज सहित पूर्ण ऋण वाह्य श्रोत को अदा नहीं हो जाता समिति को अपने सदस्य को एक बार स्वीकृति नक्शे के अनुसार निर्मित भवन में किसी प्रकार परिवर्तन करने के लिए वाह्य श्रोत से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।	49. प्रबन्ध कमेटी की लिखित पूर्व स्वीकृति लिए बिना किसी सदस्य द्वारा **समिति की लीज पर** ली हुई भूमि पर बनाये गये भवन में कोई परिवर्द्धन, या परिवर्तन नहीं किया जायेगा । इस प्रकार के समस्त प्रस्तावों पर **अनुमोदन** देते समय प्रबन्ध कमेटी यह देखेगी कि इस प्रकार के प्रस्तावित परिवर्तनो से न तो कोई अस्वस्थ्यकर वातावरण उत्पन्न होगा और न किसी अन्य सदस्य को ही किसी प्रकार की असुविधा होगी। यदि भवन निर्माण हेतु ऋण किसी **बाह्य** श्रोत के माध्यम से प्राप्त किया गया हो तो, जब तक ब्याज सहित पूर्ण ऋण **बाह्य** श्रोत को अदा नहीं हो जाता समिति को अपने सदस्य को एक बार **अनुमोदित** नक्शे के अनुसार निर्मित भवन में किसी प्रकार परिवर्तन करने **की अनुमति देने के लिए, बाह्य** श्रोत से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। भवन निर्माण के समय सदस्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि निर्माण प्रक्रिया के कारण प्रदूषण या दूसरी असुविधायें अन्य सदस्यों को न हो तथा उपविधियों एवं अन्य नियम एवं शर्तों का पूर्णरूपेण पालन हो। सदस्य द्वारा उपयुक्त धूल एवं ध्वनि उवरोधक चदर (Sheet) का उपयोग किया जायेगा।
50.	क. प्रत्येक सदस्य को जिसे समिति द्वारा गाटा प्रदिष्ट किया जाये, उस पर विकास कार्य पूर्ण होने के	**50(क) प्रस्तावित संशोधन पर अगली बैठक में विचार किया जायेगा।**

	उपरान्त सीमा निर्धारण करने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के भीतर भवन निर्माण पूर्ण करा लेना होगा। निबन्धक द्वारा उक्त अवधि सदस्य द्वारा कारण सहित आवेदन करने तथा पर्याप्त कारण दिए जाने पर बढ़ाई जा सकती है। परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि तीन वर्ष से अधिक न होगी।	
	ख. जब तक प्लाट में भवन निर्माण नहीं हो जाता उसमें झाड़ झंकार और कांटेदार झाडियां होती रहती है, जो गन्दगी और सुरक्षा के कारण बने रहते है। ऐसे प्लाटों के आवंटी सदस्यों के लिए आवश्यक होगा कि वे अपने प्लाट में भवन निर्माण करने से पूर्व प्रतिवर्ष एक बार झाड़ी कटान और सफाई करायेगें, ऐसा न करने की दशा में प्रबन्ध कमेटी सदस्य को उक्त आशय का नोटिस देने के पश्चात् झाड़ी कटान और सफाई करायेगी जिस पर किया गया व्यय सदस्य द्वारा देय होगा। इस प्रकार का देय धनराशि समिति को दिये जाने वाली अवशेष राशि की श्रेणी में मानी जायेगी।	50(ख) जब तक प्लाट में पूर्ण भवन निर्माण नहीं हो जाता उसमें झाड़ झंकार और कांटेदार झाड़ियां होती रहती है, जो गन्दगी और **असुरक्षा** के कारण बने रहते है। ऐसे प्लाटों के आवंटी सदस्यों के लिए आवश्यक होगा कि वे अपने प्लाट में पूर्ण भवन निर्माण करने से **पूर्व प्रतिवर्ष तीन बार** झाड़ी कटान और सफाई करायेगें, ऐसा न करने की दशा में प्रबन्ध कमेटी सदस्य को उक्त आशय का नोटिस देने के पश्चात झाड़ी कटान और सफाई करायेगी जिस पर **प्रबन्ध समिति द्वारा निर्धारित राशि** सदस्य द्वारा देय **होगी** । इस प्रकार देय धनराशि समिति को दी जाने वाली अवशेष राशि की श्रेणी में मानी जायेगी।
51.	यदि सदस्य उक्त उपविधि द्वारा निर्धारित अथवा बढ़ाई गई अवधि जैसी अवस्था हो, के भीतर कार्य पूर्ण करने में असफल रहता है तो समिति को अधिकार होगा कि वह सदस्य को प्रदिष्ट गाटे का प्रतिदान देकर जिसकी धनराशि सदस्य द्वारा समिति को दिये गये मूल्य से अधिक न होगी, जब्त कर लें। प्रतिबन्ध यह है कि जब्त किये जाने वाला प्लाट का आवंटन किसी अन्य सदस्य के नाम	51. मूल उपविधि में कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं।

	उस समय तक समिति द्वारा जारी नहीं किया जायेगा जब तक कि सम्बन्धित सदस्य के विरूद्ध निबन्धक का अधिनियम की धारा 70 के अन्तर्गत प्लाट जब्त करने के पूर्व प्रस्तुत अभिदेश पर निर्णय नहीं हो पाता।	
52.	इन उपविधियों में फ्लैटो के निर्माण आवंटन व स्वामित्व आदि के विषय में कोई बात स्पष्ट न होने की दशा में उत्तराखण्ड़ राज्य में लागू फ्लैटों का स्वामित्व अधिनियम व उसके अन्तर्गत बनाई गई फ्लैटों का स्वामित्व नियमावली के प्राविधान लागू होगें।	52. मूल उपविधि को हटाना प्रस्तावित है।
	संक्रमण तथ उत्तराधिकार	**संक्रमण तथ उत्तराधिकार**
53.	(1) कोई सदस्य प्रबन्ध कमेटी की पूर्व स्वीकृति से अपने गाटे या उस पर बने भवन को दूसरे सदस्य के गाटे अथवा उस पर बने भवन से ऐसी शर्तों के अनुसार जिससे दोनों पक्ष सहमत हों, बदल सकता है। ऋणी समिति व इसके ऋणी सदस्य ऋणदाता के बिना पूर्व स्वीकृति के भूमि तथा उस पर निर्मित भवन की अथवा उसमें निहित किसी अधिकार की किसी प्रकार से उस समय तक हस्तांतरित नहीं करेगें जब तक कि ऋण तथा ब्याज की कुल राशि ऋणदाता को चुकता न कर दी जाये।	53(i). कोई सदस्य प्रबन्ध कमेटी की पूर्व स्वीकृति से अपने भूखण्ड़ या उस पर बने भवन को दूसरे सदस्य के भूखण्ड़ अथवा उस पर बने भवन से ऐसी शर्तों के अनुसार जिससे दोनों पक्ष सहमत हों, बदल सकता है। ऐसी स्थिति में भूखण्ड़ के लागू सर्कल रेट से भूखण्ड़ के मूल्य की दस प्रतिशत (10%) राशि, समिति दोनों सदस्यों से समिति की विकास निधि से किये गये कार्यों पर व्यय के आंशिक अंशदान के रूप से प्राप्त करने की हकदार होगी। ऋणी समिति व इसके ऋणी सदस्य ऋणदाता के बिना पूर्व स्वीकृति के भूमि तथा उस पर निर्मित भवन अथवा उसमें निहित किसी अधिकार को किसी प्रकार से उस समय तक हस्तांतरित नहीं करेगें जब तक कि ऋण तथा ब्याज की कुल राशि ऋणदाता को चुकता न कर दी जाये।
	(2) प्रबन्ध कमेटी किसी सदस्य को अपने गाटे व भवन को ऐसे गाटे या भवन से जो समिति का हो ऐसी शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन जिन्हें समिति आवश्यक समझे बदलने की अनुमति दे सकती है वह ऐसे भवनों	53(ii). इस उपविधि को हटाना प्रस्तावित है।

	को जो समिति के हों, उन सदस्यों को जिनका अपना कोई भवन हो सामान्य निकाय द्वारा निर्धारित शर्तों पर संक्रमित कर सकती है।	
54.	प्रबन्ध समिति की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई सदस्य अपने निकट सम्बन्धी या आश्रित व्यक्ति से अन्यथा किसी व्यक्ति को अपने भवन में अधिवास की अनुमति नहीं देगा। सदस्य जो समिति के कार्यक्षेत्र से बाहर जाने वाले हों और अपना भवन किराये पर उठाना चाहते हों अपने इरादे की सूचना समिति को भवन खाली करने से कम से कम एक माह पूर्व देगा।	54. प्रबन्ध समिति की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई सदस्य अपने **निकट सम्बन्धी (Blood Relation)** या आश्रित व्यक्ति से अन्यथा किसी व्यक्ति को अपने भवन में अधिवास की अनुमति नहीं देगा। सदस्य अपने भवन को आवासीय उपयोग हेतु किराये पर देने के पूर्व पुलिस सत्यापन सहित किराये की सूचना समिति कार्यालय को देगा।

समय अभाव के कारण शेष प्रस्तावित संशोधनों पर चर्चा नहीं हो सकी अतः बैठक नई तिथि के लिये स्थगित की गयी।

सचिव

(धीरेन्द्र शर्मा)
सभापति

परिशिष्ट–1

S.No.	Name of Delegate	Ward No.	Plot /House No.	Mob. No.
1.	Shri Dhirendra Sharma	08	257/2	9425240116
2.	Shri Ajay Kumar Lal	07	260/2	9418020350
3.	Dr. Suresh Chandra Deorani	01	42/1	9012960606
4.	Shri. Rajiv Dhar Jayal	04	261/1	9837827055
5.	Lt Col L. K. Purohit (Retd)	02	25/2	9458911393
6.	Sqn Ldr A. S. Bains (Retd)	06	50/2	9760090710
7.	Shri Sushil Nautiyal	04	227/1	9410707245
8.	Shri C.M.S. Bisht	03	292/1	9760211044
9.	Capt. M. G. Singh (Retd)	03	141/1	9897701691
10.	Shri Vicky Rawat	01	285/1	9412056572
11.	Col. Mukul Singhal (Retd)	03	169/1	8076501807
12.	Shri Surendra Mohan Barthwal	01	27/1	9411364415
13.	Dr. M. N. Jha	05	11/2	9412055048
14.	Shri P. K. Sharma	02	170/2	9412437126
15.	Shri G. S. Rawat	06	102/2	9456171717
16.	Shri A. K. Girdhar	05	14/2	9760048950
17.	Cdr R. S. Juyal	08	338/2	9897622722
18.	Lt. Col. P. S. Bisht, VSM (Retd)	06	181/2	9927724462
19.	Shri Sanjay Jain	08	310/2	9410396030
20.	Shri R. P. Guatam	06	93/2	9997301950
21.	Shri T. R .Arora	05	137/2	9719149666
22.	Maj. Gen. Y. S. Negi (Retd)	05	279/2	8755425590
23.	Shri D. K. Agrawal	04	213/1	9837028802

(Secretary)